भारतीय वैश्विक परिषद्

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में बुलंद विषयों पर निश्चय

भारत के 2021-2022 के कार्यकाल का मूल्यांकन

टी एस त्रिमूर्ति

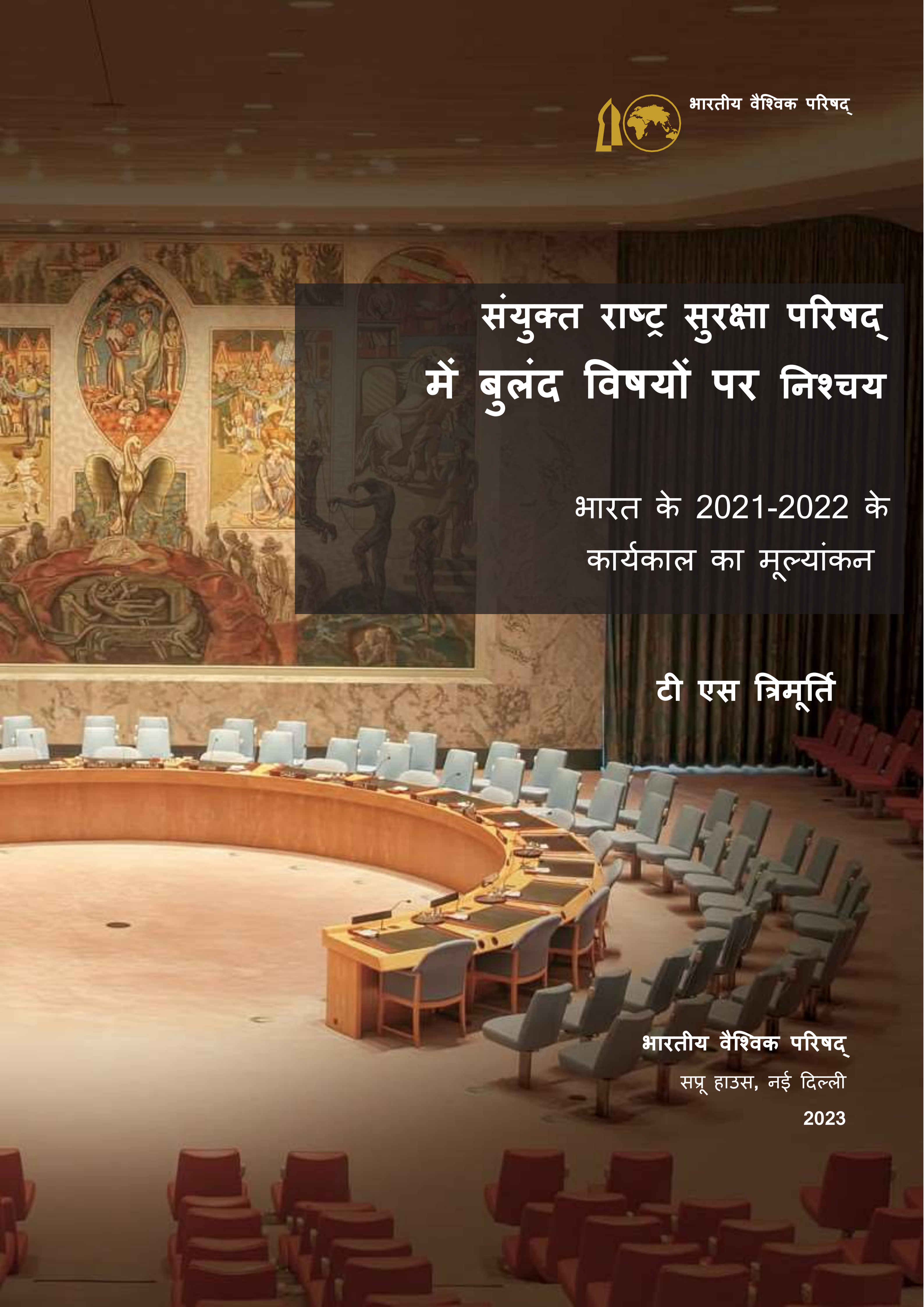

भारतीय वैश्विक परिषद्
सप्रू हाउस, नई दिल्ली
2023

भारतीय वैश्विक परिषद्

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में बुलंद विषयों पर निश्चय

भारत के 2021-22 के कार्यकाल का मूल्यांकन

टी एस तिरुमूर्ति

भारतीय वैश्विक परिषद्
सप्रू हाउस, नई दिल्ली
फरवरी, **2023**

© आईसीडब्लूए फरवरी 2023

अस्वीकरण: इस आलेख में विचार, विश्लेषण और सिफारिशें व्यक्तिगत हैं और यह आईसीडब्लूए के विचार को परिलक्षित नहीं करता है।

विषय-सूची

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में बुलंद विषयों पर निश्चय

टी एस तिरूमूर्ति..5

लेखक के बारे में..22

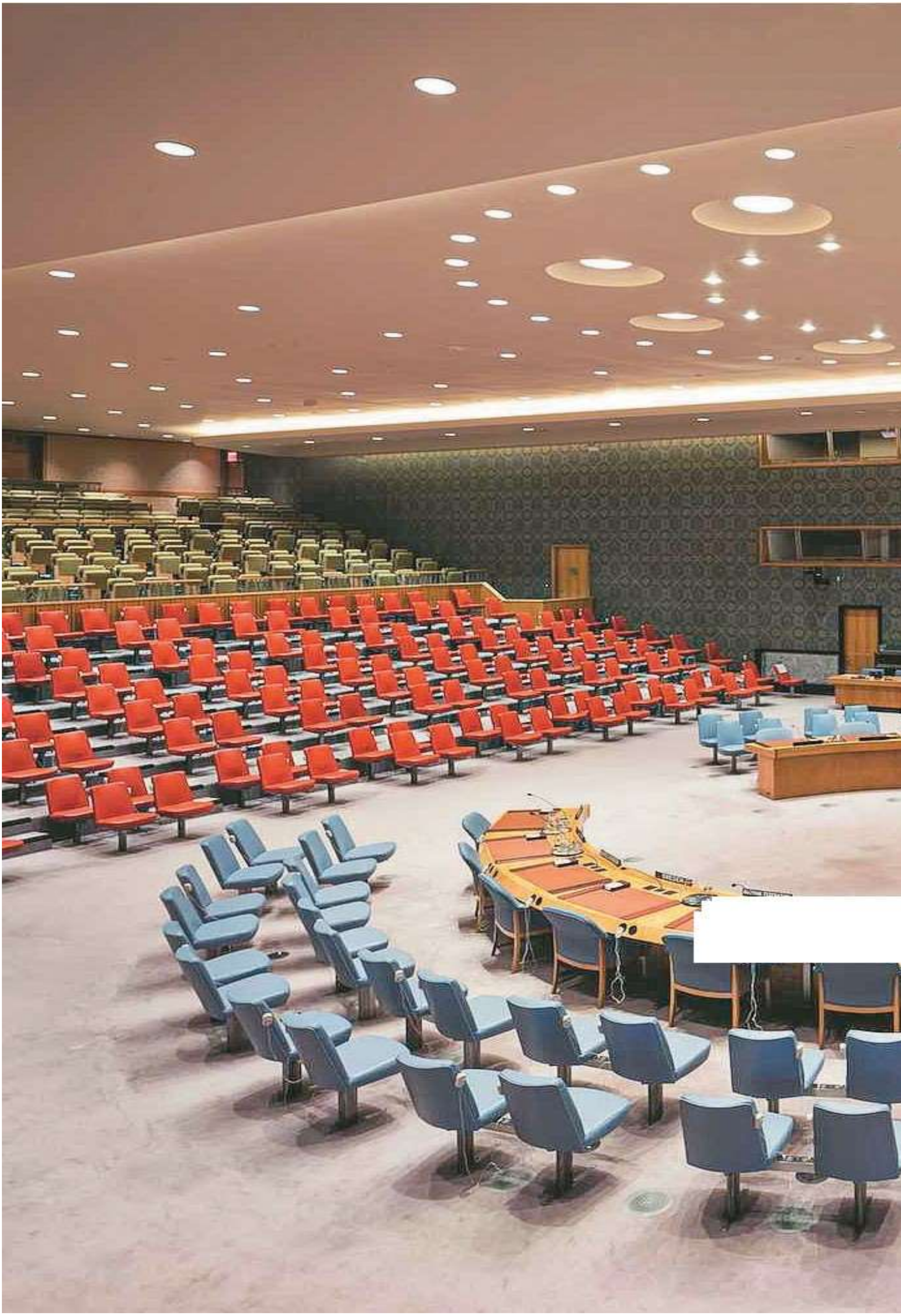

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में बुलंद विषयों पर निश्चय

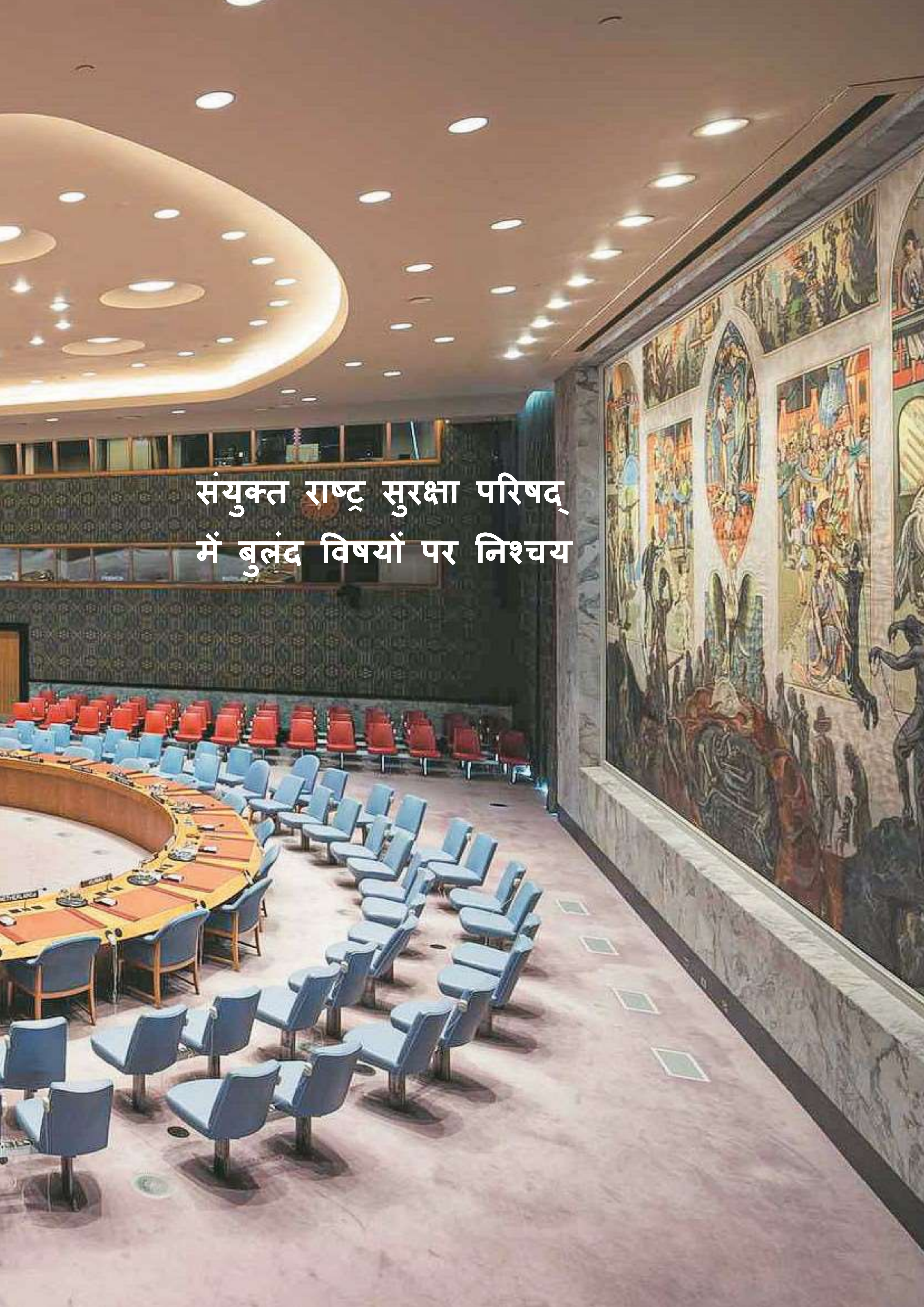

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में अपने 8वें दो-वर्षीय कार्यकाल को उच्च टिप्पणी के साथ समाप्त किया है-दूसरी बार परिषद के अध्यक्ष के रूप में। वास्तव में, दूसरी बार अध्यक्षीय पद प्राप्त करना एक अनूठा मौका था जो भारत का सौभाग्य था और किसी भी पैमाने पर, 2021-2022 के बीच हमारा दो वर्ष का कार्यकाल अभूतपूर्व रहा है।

भारत परिषद् में तक सम्मिलित हुआ जब महामारी चरम पर थी।

24 महीनों में से 18 माह सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत/स्थायी प्रतिनिधि के रूप में सेवा करना मेरा सौभाग्य रहा है। निसंदेह इसने मुझे न केवल संयुक्त राष्ट्र व सुरक्षा परिषद् के प्रति अपनी नीति को आकार देने में योगदान देने का मौका प्रदान किया है बल्कि परिषद् में निपटाए गए कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दों को भिन्न तरीके देने का भी मौका प्रदान किया है। इसमें मैं सौभाग्यशाली था कि न्यूयार्क में भारतीय के स्थायी मिशन में असाधारण गतिशील, केंद्रित और परिश्रमी टीम के साथ कार्य किया जिसमें मंत्रालय से हमारे सक्षम और भरोसेमंद सहयोगियों ने सहायता दी। मुझे विश्वास है कि हमने सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिक आधार पर आगे बढ़ाया और महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक कदम उठाया। भारत परिषद में तब शामिल हुआ जब महामारी अपने चरम पर थी। मैं 2020 में बहुत पहले न्यूयॉर्क आ गया था जब भारत और न्यूयॉर्क दोनों में पूर्ण लॉकडाउन था। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को देखे बिना मैनहट्टन में कई ब्लॉक पार कर सकता है। मैंने जून 2020 में हमारे यूएनएससी चुनावों के लिए सभी प्रकार की लॉबिंग की, मोबाइल कॉल पर किया और जूम के माध्यम से सहकर्मियों के साथ मैं पहली बार (वर्चुअल) मिल रहा था। मैं जल्द ही कोविड संयुक्त राष्ट्र राजदूतों का स्वयंभू डीन बन गया क्योंकि मैं कोविड के दौरान आने वाला पहला व्यक्ति था। मैंने जूम कॉल के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासचिव को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया और कई महीनों के बाद, मैनहट्टन में घर पर मेरा एकमात्र साथी तीन सूटकेस थे जिनसे साथ मैं था और वहां नीचे ईस्ट नदी बह रही थी।

सौभाग्य से, परिषद, वास्तव में संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश हिस्सों के रूप में, वीटीसी पर अपने सत्रों को वर्चुअल रूप से आयोजित करने का एक रचनात्मक कदम उठाया। बातचीत और बैठकें वर्चुअल रूप से आयोजित की गईं। इसका अनुमान लगाते हुए, न केवल परिषद में बल्कि संयुक्त राष्ट्र से संबंधित अन्य बैठकों और वार्ताओं में भी, हमने अपने स्थायी मिशन में एक कमरे को ऐसी बैठकों में भाग लेने के लिए एक अच्छी तरह से सुसज्जित स्टूडियो में बदल दिया। यह हमारे अधिकारियों के लिए एक बड़ा वरदान था, जो बैठकों में भाग ले सकते थे और कम से कम, अपनी आंखों की रोशनी पर जोर दिए बिना अधिक केंद्रित तरीके से बातचीत कर सकते थे। 1 जनवरी 2021 को परिषद में प्रवेश करने के बाद, पांच से छह महीनों में, यूएनएससी ने काउंसिल चैंबर में शारीरिक रूप से अपना काम फिर से शुरू किया, हालांकि हमारे स्टूडियो का उपयोग संयुक्त राष्ट्र और इसकी समितियों में कई बैठकों और वार्ताओं के लिए किया जाता रहा। और हमारे लगभग सभी साइड इवेंट वर्चुअल रूप से किए गए।

हम परिषद् में उस समय सम्मिलित हुए जब यह पूरी तरह से ध्रुवीकृत था विशेषकर पी-5 सदस्यों द्वारा ध्रुवीकृत था। पी-5 के इस बात पर अपने-अपने किन्तु भिन्न विचार थे कि संयुक्त राष्ट्र और इसके अंग उनके वैश्विक दृष्टि से उपयुक्त होते हैं, जो आधारिक रूप से उनके अपने हित में थे। इसके परिणामस्वरूप निर्णय लेने में बाधा आयी, विशेषकर परिषद् में यह स्पष्ट देखा गया।

भारत अपनी प्राथमिकताओं पर स्पष्ट फोकस करते हुए परिषद् में शामिल हुआ। इन प्राथमिकताओं में अन्य बातों के साथ-साथ समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटना, शांति बनाए रखना, दोष रहित बहुपक्षवाद, अपना पड़ोस और वैश्विक दक्षिणी भाग शामिल था।

हम परिषद में ऐसे समय में शामिल हुए जब दुनिया के वित्तीय संसाधनों को जीवन में एक बार आने वाली इस महामारी से लड़ने के लिए खर्च किया जा रहा था। राष्ट्रों को पहले यह सुनिश्चित करना था कि उनके नागरिक बच जाएं और इसके लिए उनकी बुनियादी जरूरतों को बनाए रखने हेतु भारी संसाधनों की आवश्यकता थी। लाखों लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। दानदाता देशों को बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एसडीजी 2030 या/और पेरिस 2030 को जलवायु परिवर्तन के लिए पहले निर्धारित किए गए अपने अधिकांश धन को अन्यत्र खर्च करना पड़ा या 'पुनर्गठित' करना पड़ा। इसके अलावा, विकासशील देशों, विशेष रूप से अफ्रीका और छोटे द्वीपीय विकासशील राष्ट्रों (एसआईडीएस) को विकसित देशों के कारण वैक्सीन असमानता और जमाखोरी का सामना करना पड़ा।

हम ऐसे समय में परिषद में शामिल हुए जब परिषद बेहद ध्रुवीकृत थी, विशेष रूप से पी-5 सदस्य। पी-5 के अपने-अपने लेकिन अलग-अलग विचार थे कि संयुक्त राष्ट्र और उसके अंग उनकी वैश्विक दृष्टि में कहां फिट बैठते हैं, जो मोटे तौर पर उनके स्व-हित पर आधारित है। नतीजतन, अनिर्णय होना, विशेष रूप से परिषद में, बढ़ गया था। इसने यूएनएससी की अपने एजेंडे पर चल रहे संघर्षों से निपटने की क्षमता को और भी अधिक प्रभावित किया। सीरिया, यमन, लीबिया, सोमालिया, फिलिस्तीन, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, सूडान, दक्षिण सूडान और साहेल क्षेत्र में पुराने संघर्ष एजेंडे में शामिल हैं। अफगानिस्तान, यमन, फिलिस्तीन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, माली, बुर्किना फासो और हैती जैसे कुछ देशों की स्थिति उत्तरोत्तर बदतर हो गई और परिषद के पहले से ही अतिभारित एजेंडे में म्यांमार, इथियोपिया, गिनी और हाल में यूक्रेन सहित कई नए मुद्दे जुड़ गए।

हम अपनी प्राथमिकताओं पर स्पष्ट ध्यान देने के साथ परिषद में गए थे। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का प्रतिकार, शांति रक्षा, बहुपक्षवाद में सुधार, हमारा पड़ोस और निश्चित रूप से वैश्विक दक्षिण शामिल थे। हमारी अध्यक्षता के दौरान उच्च स्तरीय यूएनएससी बैठकों के आयोजन के अलावा, हमने अपने दो वर्षों में अपनी सभी पहलों में इन प्राथमिकताओं को लगातार आगे बढ़ाया।

हमें 2022 के लिए आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता के लिए भी चुना गया था क्योंकि अध्यक्ष के लिए रिक्ति उस वर्ष के लिए नहीं बल्कि अगले वर्ष के लिए थी।

हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की दो महत्वपूर्ण समितियों अर्थात् 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति और 1970 लीबिया प्रतिबंध समिति के अध्यक्ष भी चुने गए थे। विडंबना यह थी कि 1970 लीबिया प्रतिबंध समिति की स्थापना तब की गई थी जब हम आखिरी बार 2011 में परिषद में थे। एक दशक के बाद, हम इस समिति के अध्यक्ष के रूप में वापस आ गए थे-यह इस बात का संकेत था कि यूएनएससी के एजेंडे पर आने के बाद संघर्ष कभी हल नहीं होते हैं! इसके बाद, हमें 2022 के लिए आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता के लिए भी चुना गया था, क्योंकि कुछ अथक और कठिन सौदेबाजी के कारण अध्यक्ष के लिए रिक्ति उस वर्ष के लिए नहीं बल्कि अगले वर्ष के लिए थी।

जब हम परिषद में शामिल हुए, तो हम अपने दो पड़ोसियों-म्यांमार और अफगानिस्तान के घटनाक्रमों से सीधे प्रभावित हुए। परिषद में हमारी उपस्थिति वास्तव में भाग्यशाली थी क्योंकि हम इसमें शामिल हो सकते थे और हमारे लिए महत्वपूर्ण चिंता के इन दो मुद्दों से निपटने में योगदान दे सकते थे। परिषद में शामिल होने के तुरंत बाद यानी 1 फरवरी 2021 को हमने म्यांमार में सैन्य अधिग्रहण देखा। अगस्त 2021 में परिषद की हमारी अध्यक्षता के दौरान, तालिबान ने अफगानिस्तान में जबरन सत्ता पर कब्जा कर लिया।

म्यांमार में यूएनएससी ने तुरंत लोकतंत्र के रास्ते पर लौटने, हिंसा रोकने, चुनाव परिणाम बहाल करने और कैदियों की रिहाई का आह्वान किया। आसियान से इस मुद्दे पर नेतृत्व करने की उम्मीद थी। हालांकि, जैसे-जैसे समय बीतता गया, पश्चिमी राष्ट्रों ने अपनी प्राथमिकता बदली और अपने लक्ष्य को बदलना शुरू कर दिया और आक्रामक मुद्रा ली। यहां तक कि यूएनएसजी के विशेष दूत ने भी कहा कि वह विपक्ष के साथ कठिन परिस्थिति में कार्य करेगी, और समाधान खोजने में मदद करने के लिए म्यांमार का दौरा करने की उनकी जो भी संभावनाएं थीं, उन्हें रोक दिया। पी-5 के सदस्य विरोधी दिशाओं में जा रहे थे, जबकि आसियान ने सावधानी बरतने की सलाह दी थी। पश्चिम के नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव,

जहां सभी पड़ोसी देशों और पड़ोस के लोग अनुपस्थित थे, ने ध्रुवीकरण को और भी स्पष्ट बना दिया। भारत म्यांमार के साथ लगभग 1700 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और म्यांमार के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, हिंसा रोकना, स्थिरता लाना, नेताओं की रिहाई और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण था। मुद्दों को हल करने और इस मामले पर विभिन्न पक्षों की संवेदनशीलता को महसूस करने की दृष्टि से, भारत ने संतुलित और व्यापक परिषद घोषणाओं को सुनिश्चित करने के लिए पर्दे के पीछे काम किया और आसियान और अन्य के लिए आगे का रास्ता खोजने के लिए जगह बनाने की कोशिश की। हमने आगे बढ़ने का रचनात्मक रास्ता खोजने के लिए अंतराल और चरम विचारों को पाट दिया। म्यांमार पर यूएनएससी प्रस्ताव को दिसंबर 2022 में हमारी अध्यक्षता में अपनाया गया था, हालांकि हम मतदान में अनुपस्थित रहे, क्योंकि "वर्तमान परिस्थितियों में हमने वोट के अपने स्पष्टीकरण में दोहराया, हमारा विचार है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव विभिन्न पक्षों को एक समावेशी राजनीतिक वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय उनके लचीले रुख में डाल सकता है।" उत्तर-पूर्व भारत में शरणार्थियों की भीड़ को देखते हुए, हमने यह भी रेखांकित किया कि "अस्थिरता के परिणाम पड़ोसी देशों को सबसे अधिक प्रभावित करेंगे, और इसलिए उनके विचारों और दृष्टिकोणों पर गंभीरता से विचार करना महत्वपूर्ण है।"

म्यांमार के संबंध में भारत ने परिषद् की संतुलित और व्यापक घोषणाओं के बीच संतुलन रखने को सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया और आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आसियान और अन्य राष्ट्र समूहों के लिए संभावनाएं बनाने की कोशिश की।

जब तालिबान ने अगस्त, 2021 में अफगानिस्तान पर जबरन अपना अधिकार कर लिया तो संयोग से भारत परिषद् की अध्यक्षता कर रहा था। इस स्थिति ने हमें अफगानिस्तान में स्थिति को गहराई से समझने तथा अफगान लोगों की जरूरतों और कल्याण पर चर्चा करने का मौका प्रदान किया।

अगस्त 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान में जबरन सत्ता संभाली थी, तब संयोग से भारत परिषद की अध्यक्षता कर रहा था। इससे हमें अफगानिस्तान की स्थिति और अफगान लोगों की आवश्यकताओं और कल्याण के बारे में हमारी गहरी समझ पर चर्चा करने का मौका मिला। तथ्य यह है कि हम तालिबान प्रतिबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में अफगानिस्तान के साथ भी काम कर रहे थे, जिससे हमें स्थिति को परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद मिली। यह संतुलित परिप्रेक्ष्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि पश्चिमी देश और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने तालिबान को लाने की आड़ में म्यांमार की तुलना में अफगानिस्तान के लिए एक अलग मानदंड लागू किया था। फ्रांस को छोड़कर, अन्य चार पी-5 सदस्यों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की कई बड़ी चिंताओं को दूर किए बिना उन्हें सीधे शामिल किया। भारत ने विचार-विमर्श और वार्ता को रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ाने में एक शांत लेकिन दृढ़ भूमिका निभाई। इसके परिणामस्वरूप अंततः हमारी अध्यक्षता के अंतिम दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूएनएससी संकल्प 2593 को अपनाया गया।

यूएनएससीआर 2593 ने स्पष्ट मानदंड निर्धारित किए हैं, जिन्हें तालिबान को पूरा करना था, जिसमें 1267 के तहत पाकिस्तान में प्रतिबंधित संयुक्त राष्ट्र आतंकवादी संस्थाओं सहित अफगान धरती से सीमा पार आतंकवाद को रोकना, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, एक समावेशी सरकार सुनिश्चित करना और मानवीय सहायता प्रदान करना शामिल है। परिषद के सदस्यों को तालिबान के साथ अपने संबंधों को शिथिल करने की हमारी चेतावनी अनसुनी कर दी गई और आखिरकार उन्हें तभी झटका लगा जब उन्होंने खुद को देखा कि आतंकवाद कम नहीं हुआ, बल्कि वास्तव में बढ़ा, अल कायदा के साथ तालिबान के संबंध सुदृढ़ नहीं हुए तो जारी रहे, महिलाओं और लड़कियों पर गंभीर प्रतिबंध लगाए गए और कोई समावेशी सरकार नहीं थी। जैसा कि हमने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए जनादेश को अपनाते हुए अपने दिसंबर 2021 के परिषद के बयान में जोर दिया, "आगे बढ़ते हुए, भले ही हम अफगानिस्तान के लोगों की तत्काल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अफगानिस्तान के प्रति हमारा दृष्टिकोण संकल्प 2593 से अपेक्षित प्रतिबद्धताओं और अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमारी दीर्घकालिक मित्रता से निर्देशित होगा।''

> यूक्रेन संघर्ष के दौरान ही भारत के स्वतंत्र और सैद्धांतिक रुख ने दुनिया को दिखाया कि हमें गहन लड़ाई और उच्च भावनाओं के बीच भी बातचीत और शांति के लिए जगह बनाने के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता है, वह किया जाए, जब सभी देशों को हथियार दिया जा रहा हो।

हालांकि, यूक्रेन संघर्ष के दौरान भारत के स्वतंत्र और सैद्धांतिक रुख ने दुनिया को दिखाया कि हमें भीषण संघर्ष और उच्च भावनाओं के बीच भी बातचीत और शांति के लिए जगह बनाने के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता है, वह करने की आवश्यकता है, जब सभी पक्षों को हथियार मुहैया कराया जा रहा था।

स्पष्ट रूप से बताया जाए तो, यूक्रेन पर मसौदा प्रस्ताव पर परिषद के मतदान पर अनुपस्थित रहने के 27 फरवरी, 2022 के हमारे निर्णय को हल्के में नहीं लिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि हालांकि रूस ने उस मसौदे को वीटो कर दिया था, लेकिन चीन, यूएई और भारत सहित सभी तीन एशियाई देश अनुपस्थित थे। जैसा कि हमने वोट के अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है, "परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हमने अनुपस्थित रहने का निर्णय किया है।'' यह वह स्थिति है जिसे हमने अगले कुछ महीनों में यूक्रेन से संबंधित प्रस्तावों पर अनुपस्थित रहते हुए अपनाया था, चाहे वह परिषद में हो या संयुक्त राष्ट्र महासभा में-परिस्थितियों की समग्रता और हमारे अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना हो। संघर्षों पर भारत की स्थिति सुसंगत रही है-शत्रुता की तत्काल समाप्ति और चर्चा और कूटनीति के रास्ते पर लौटना।

यह कहने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली और न्यूयॉर्क दोनों जगहों पर भारत पर काफी दबाव डाला गया था। वास्तव में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मुझसे अनुरोध किया कि क्या भारत, एक सुदृढ़ नेतृत्व के साथ एक लोकतंत्र के रूप में, दोनों पक्षों से वार्ता कर सकता है और तत्काल संघर्ष विराम की आवश्यकता को रेखांकित कर सकता है और वार्ता पर लौटा सकता है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कई अवसरों पर दोनों राष्ट्रपतियों से वार्ता की। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, आज का युग युद्ध का नहीं है।

जैसे-जैसे दिन बीतते गए हमारी प्राथमिकताओं को और बेहतर किया गया, लेकिन हमारी समग्र स्थिति और नीति दृढ़ बनी हुई है। शुरुआत में, यूक्रेन में भारत के 22,000 से अधिक छात्र और नागरिक थे। हम एक छात्र की दुखद मौत को छोड़कर, अराजक और बिगड़ते परिदृश्य में उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में कामयाब रहे। यहां तक कि सुमी में स्थिति जहां 700 छात्र छिपे हुए थे, को दिल्ली और न्यूयॉर्क में सक्रिय लेकिन शांत कूटनीति के साथ हल किया गया था।

परिषद् में हमने अन्य चीजों के साथ-साथ तेल, खाद्यान्न और उर्वरकों को लेकर तीसरी दुनिया के लिए दयनीय स्थिति उत्पन्न करने वाले प्रतिबंधों के विरूद्ध जोरदार तरीके से आवाज उठायी।

अध्यक्षता के दौरान, प्रधानमंत्रीय नरेन्द्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की प्रथम उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता (वर्चुअल) की।

जहां हम लगातार बयानबाजी की कवायद में शामिल होने से इनकार करते रहे हैं, वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विशिष्ट मुद्दों पर बोलने में संकोच नहीं किया, जिसमें बुचा में नागरिक हत्याएं भी शामिल हैं, जिसकी हमने "स्पष्ट रूप से" निंदा की और "एक स्वतंत्र जांच" के आह्वान का समर्थन किया। हम नागरिकों के मारे जाने की आलोचना कर रहे थे और "तत्काल मानवीय राहत की निरंतर प्राथमिकता" का आह्वान किया। भारत ने यूक्रेन के लिए राहत और चिकित्सा आपूर्ति भेजी। परिषद में, हम यूक्रेन में परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा पर समान रूप से मुखर थे, जिसमें ज़ापोरिज़्झिया एनपीपी भी शामिल था। हमने रूस को मानवाधिकार परिषद से बाहर करने या संयुक्त राष्ट्र निकायों से अलग करने के कदमों का समर्थन करने से भी इनकार कर दिया।

संघर्ष के प्रभाव ने न केवल पहले तीन या चार महीनों में संयुक्त राष्ट्र के काम को पंगु बना दिया, बल्कि जल्द ही खाद्य, उर्वरक और ईंधन असुरक्षा को बढ़ा दिया, खासकर विकासशील देशों में। खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव को महसूस करते हुए, भारत ने अफगानिस्तान, म्यांमार, सूडान और यमन सहित जरूरतमंद देशों को गेहूं के निर्यात की तुरंत अनुमति दी। परिषद में, हमने अन्य बातों के साथ-साथ तेल, खाद्य और उर्वरकों पर ग्लोबल साउथ में संकट पैदा करने वाले प्रतिबंधों के विरूद्ध बलपूर्वक वार्ता की। मई 2022 में यूएनएससी की बहस में अपने भाषण में, हमारे विदेश राज्य मंत्री ने कहा, "यह स्पष्ट है कि जमाखोरी और अटकलें काम कर रही हैं। हम इसे बिना किसी चुनौती के पारित नहीं होने दे सकते। उन्होंने कहा, "जब खाद्यान्न की वार्ता आती है तो हम सभी के लिए इक्विटी, सामर्थ्य और पहुंच के महत्व को पर्याप्त रूप से समझना आवश्यक है। हमने पहले भी इसकी बड़ी कीमत चुकायी है जब कोविड-19 टीकों के मामले में इन सिद्धांतों का उल्लंघन कैसे किया गया। खुले बाजार की असमानता को बनाए रखना और भेदभाव को बढ़ावा देना कोई तर्क नहीं होना चाहिए।'' हम ग्लोबल साउथ पर इसके हानिकारक प्रभाव की उपेक्षा करते हुए, रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की एकतरफा प्रकृति से गंभीर रूप से प्रभावित कई विकासशील देशों की भावनाओं को प्रतिध्वनित कर रहे थे।

अगस्त, 2021 में हमारी अध्यक्षता के दौरान हमने अपने विदेश मंत्री डा. एस. जयशंकर की अध्यक्षता में आतंकवाद पर एक उच्च स्तरीय बैठक की।

भारत ने अपने कार्यकाल के दौरान फोकस और कड़ी मेहनत के साथ अपने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आगे बढ़ाया। उदाहरण के लिए, हमारी अध्यक्षता के दौरान, प्रधान मंत्री ने पहली बार समुद्री सुरक्षा पर यूएनएससी की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता (आभासी रूप से) की। उच्च स्तरीय गणमान्य व्यक्तियों ने डिजिटल रूप से बैठक में भाग लिया, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन, जिन्होंने 2005 के बाद यूएनएससी की बैठक में भाग लिया, वियतनाम के प्रधान मंत्री, मंत्री और अन्य शामिल थे। यूएनएससी द्वारा अपनाया गया अध्यक्ष का बयान समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर पहला समग्र दस्तावेज था, जिसमें व्यापक रूप से इससे संबंधित कई मुद्दों को शामिल किया गया था, जिसमें पहली बार समुद्री गतिविधियों के संदर्भ में कानूनी ढांचे को निर्धारित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का सीधा संदर्भ शामिल था। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ नौवहन की स्वतंत्रता, जल दस्युता रोधी और समुद्र में आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का प्रतिकार करने का भी आह्वान किया गया है। चर्चा कठिन थी और मेरे सहयोगियों ने उन्हें बड़ी चतुराई से संभाला और सभी सदस्यों को एकजुट किया। समुद्री सुरक्षा पर इस व्यापक समस्या को और नही लटकाने को और अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। भारत ने अपने कार्यकाल के दौरान फोकस और कड़ी मेहनत के साथ अपने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आगे बढ़ाया। हमारी अध्यक्षता के दौरान, प्रधान मंत्री ने पहली बार समुद्री सुरक्षा पर यूएनएससी की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता (आभासी रूप से) की। उच्च स्तरीय गणमान्य व्यक्तियों ने डिजिटल रूप से बैठक में भाग लिया, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन, जिन्होंने 2005 के बाद यूएनएससी की बैठक में भाग लिया, वियतनाम के प्रधान मंत्री, मंत्री और अन्य शामिल थे। यूएनएससी द्वारा अपनाया गया अध्यक्षीय बयान समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर पहला समग्र दस्तावेज था, जिसमें व्यापक रूप से इससे संबंधित कई मुद्दों को शामिल किया गया था, जिसमें पहली बार समुद्री गतिविधियों के संदर्भ में कानूनी ढांचे को निर्धारित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का सीधा संदर्भ शामिल था। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ नौवहन की स्वतंत्रता, जलदस्युता रोधी और समुद्र में आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का प्रतिकार करने का भी आह्वान किया गया। बातचीत कठिन थी और मेरे सहयोगियों ने उन्हें बड़ी चतुराई से संभाला और सभी सदस्यों को एकजुट किया। समुद्री सुरक्षा पर इस व्यापक टेम्पलेट को आगे बढ़ाने के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है।

जहां तक आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर हमारे फोकस का संबंध है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने संयुक्त राष्ट्र और बाहर दोनों जगह आतंकवाद पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि, आतंकवाद का प्रतिकार करने पर समकालीन संदर्भ का एक संक्षिप्त अवलोकन वास्तव में इस बात की सराहना करने के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इस मामले पर किस प्रकार कार्य किया।

11 सितंबर 2001 आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक क्षण था। 9/11 से पहले दुनिया "आपका आतंकवादी" और "मेरा आतंकवादी" में विभाजित थी। लेकिन 9/11 ने साबित कर दिया कि दुनिया के एक हिस्से का आतंकवाद मैनहट्टन, न्यूयॉर्क के केंद्र को तबाह कर सकता है। अचानक वे 'हमारे' आतंकवादी बन गए। यह वैश्विक स्तर पर एक सामूहिक लड़ाई बन गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 28 सितंबर 2001 को एक बाध्यकारी प्रस्ताव संख्या 1373 पारित किया और सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति का भी

गठन किया, जिसका 2022 का सभापति भारत बना।

लेकिन 20 वर्ष बाद, हम 'आपके आतंकवादी' और 'मेरे आतंकवादी' के युग में वापस जाने के खतरे में हैं। वर्तमान में, इस तरह के कृत्यों के पीछे की प्रेरणाओं के आधार पर आतंकवाद को वर्गीकृत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। हम ऐसी स्थिति से प्रभावित हैं जहां एशिया और अफ्रीका में आतंकवाद से संबंधित मुद्दों के व्यापक सेट पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अब हम "मेरे आतंकवादी-आपके आतंकवादी" युग में वापस जाने के खतरे में हैं। जैसा कि विदेश मंत्री ने जनवरी 2021 में परिषद में कहा था "आतंकवादी आतंकवादी हैं; इसमें भेद केवल हमारे अपने जोखिम पर किया जाता है। इस संदर्भ में यूएनएससी में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई और हम आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने में कामयाब रहे।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की आंतकवाद रोधी समिति (सीटीसी) के अध्यक्ष के रूप में हमने विशिष्ट क्षेत्रों विशेषकर अफ्रीका और एशिया में आंतकवादी कार्रवाई में बढ़ोतरी और आंतकी उद्देश्यों हेतु नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया।

भारत सुरक्षा समस्याओं से निपटने और चुनौतियों से संबंधित कार्य करने के लिए शांति मिशनों में नई और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को लाने की पुरजोर वकालत करता रहा है।

अगस्त 2021 में हमारी अध्यक्षता के दौरान, हमने अपने विदेश मंत्री (ईएएम) की अध्यक्षता में आतंकवाद पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस मौका पर विदेश मंत्री ने जनवरी 2021 में परिषद को दिए अपने बयान और आतंकवाद का प्रतिकार करने के लिए प्रस्तावित आठ सूत्री कार्य योजना को दोहराया। उनमें शामिल हैं:

- राजनीतिक इच्छाशक्ति का आह्वान करना: आतंकवाद को उचित नहीं ठहराएं, आतंकवादियों का महिमामंडन नहीं करें;
- कोई दोहरा मापदंड नहीं हो। आंतकवादी आंतकवादी होता है; इसमें भेदभाव से आप पर खतरा होता है;
- किसी कारण के बिना ब्लॉक न बनाएं और सूचीकरण के अनुरोध में अड़चन न डालें;
- अपवाद वाली सोच को हतोत्साहित करें तथा नए शब्दों और गलत प्राथमिकताओं के बारे में सतर्कता बरतें;
- सूचीबद्ध या सूची से हटाना उद्देश्यपूर्ण हो, यह राजनीतिक या धार्मिक विचारण के आधार पर नहीं हो;
- संगठित अपराध से संबद्धता की पहचान करें;
- एफएटीएफ का समर्थन और सुदृढ़ करें; और
- संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद रोधी कार्यालय का अधिक वित्तपोषण करें।

विदेश मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक संधि को अपनाने से रोकने वाले गतिरोध को समाप्त करने का भी आह्वान किया, जिसका भारत ने इतने लंबे समय से समर्थन किया है। हमने यह सुनिश्चित किया कि दो वर्षों के दौरान परिषद के एजेंडे में शामिल अन्य मुद्दों में भी आतंकवाद के पहलू को शामिल किया जाए।

यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिति (सीटीसी) के अध्यक्ष के रूप में, हमने विशिष्ट क्षेत्रों, विशेष रूप से अफ्रीका और एशिया में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि और आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर प्रकाश डाला। सीटीसी अध्यक्ष के रूप में, मैंने विभिन्न क्षेत्रों में एक विविध समूह के साथ और आतंकवाद से संबंधित विभिन्न घटनाओं पर बातचीत की। वास्तव में, अफ्रीकी सदस्य देशों के अनुरोध पर, हमने अफ्रीका में आतंकवाद पर हाल के घटनाक्रमों पर एक अलग बैठक आयोजित की थी ताकि साहेल और उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व में फैल रहे इस्लामी-जिहादी आतंकवाद में भारी वृद्धि पर प्रकाश डाला जा सके। मैंने व्यक्तिगत रूप से कई अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों और अन्य लोगों से मिलने के लिए स्पेन की यात्रा की तथा आतंकवादियों के बदलते आख्यानों और नए एवं उभरते माध्यमों को सामने रखा। मैंने सीटीसी अध्यक्ष के रूप में दुनिया भर में कई बैठकों में भाग लिया।

एक अनूठी पहल में, हम अक्तूबर 2022 में सीटीसी बैठक को ऐसे समय में भारत में लेकर आए जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था। इस विशेष सीटीसी बैठक का फोकस आतंकवादी समूहों द्वारा नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग और उनके द्वारा उत्पन्न खतरे की गंभीरता पर था। बैठक में 54 सदस्य देशों, 33 अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों तथा कई अन्य राष्ट्रों के 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का प्रतिकार करने पर ऐतिहासिक दिल्ली घोषणा को स्वीकार किया गया था। मुख्य आकर्षण मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए आतंकी हमले की जगह पर औपचारिक पुष्पांजलि

समारोह के लिए सीटीसी का मुंबई दौरा भी था।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् संकल्प 1267 प्रतिबंधों के अंतर्गत सूचीबद्ध करने के लिए कई नामों का प्रस्ताव भी किया।

भारत ने यूएनएससी प्रस्ताव 1267 प्रतिबंधों के तहत सूचीबद्ध करने के लिए आतंकवादियों के कई नामों का भी प्रस्ताव रखा। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, अमेरिका इन प्रस्तावों के लिए सह-हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में हमारे साथ शामिल हो गया। हालांकि, इन आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने के हमारे प्रयास को विफल कर दिया गया था, और उन्हें सूचीबद्ध करने के खिलाफ एक ब्लॉक बना दिया गया था। वास्तव में, विदेश मंत्री ने दिसंबर 2022 में परिषद की अध्यक्षता करते हुए इसका आह्वान किया और कहा कि "प्रासंगिक तंत्र के काम करने के तरीके भी वैध चिंता और बहस का विषय हैं। एक स्तर पर, हमने ऐसे संरक्षण देखे हैं जो औचित्य के करीब आते हैं। फिर, साक्ष्य-समर्थित प्रस्ताव हैं जिन्हें पर्याप्त कारण बताए बिना रोक दिया जाता है। इसके विपरीत, यहां तक कि गुमनामी का सहारा भी लिया गया है ताकि अपुष्ट मामलों का भार लेने से बचा जा सके।''

लेकिन एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, हमारे परिषद छोड़ने के दो सप्ताह बाद, 1267 के तहत आतंकवादी सूची के हमारे प्रस्तावों में से एक को यूएनएससी द्वारा अनुमोदित किया गया था। लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी आमिर/चीफ अब्दुल रहमान मक्की की यह सूची परिषद में प्रस्तावक के रूप में भारत के साथ पहली बार सूचीबद्ध थी (अमेरिका द्वारा सह-हस्ताक्षरित)। यह जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी कृत्यों के लिए स्पष्ट रूप से नामित होने वाला पहला आतंकवादी भी था। यह वास्तव में हमारी कूटनीति की एक बड़ी सफलता है।

भारत की शांति रक्षा साख को विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि हमने 1950 के दशक से संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में योगदान दिया है, और 6 दशकों में संचयी रूप से 260,000 से अधिक सैनिकों और कर्मियों को तैनात किया है। भारत सबसे बड़े सैनिकों और पुलिस योगदानकर्ताओं में से एक है, जो वर्तमान में 12 संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में से 9 में तैनात 5,700 से अधिक भारतीय शांति रक्षक प्रदान करता है। 177 भारतीय शांति सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है, जो किसी भी सैनिक-योगदान देने वाले देश से सबसे अधिक है। भारत को 2007 में लाइबेरिया में पहली बार महिला शांति सेना की टुकड़ी तैनात करने पर गर्व है, जिसने लाइबेरियाई महिलाओं की एक पूरी पीढ़ी को देश के सुरक्षा क्षेत्र में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। हाल ही में, हमने यूएनआईएसएफए में अबेई में एक महिला प्लाटून तैनात किया। इसे स्मरण किया जा सकता है

कि महामारी के बीच, भारत ने महासचिव के आह्वान पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और सभी शांतिसैनिकों को टीकों की 200,000 डोज दान की। भारत ने डीआर कांगो और दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशनों में अपने फील्ड अस्पतालों को उन्नत बनाने के संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

वैश्विक दक्षिणी भाग के साथ हमारे एतिहासिक संबंधों को देखते हुए हमने विकासशील दुनिया, विशेषकर अफ्रीका और मध्यपूर्व के देशों के साथ संबंधों को और सुदृढ़ किया।

भारत ने परिषद् के भीतर और बाहर महिलाओं की भूमिका, उनकी शक्ति और महिला नीत विकास को भी रेखांकित किया जहां हमें महिलाओं की दशा संबंधी आयोग में भी चुना गया।

अगस्त 2021 में अपनी अध्यक्षता के दौरान, भारत ने पहली बार "रक्षकों की रक्षा" के लिए प्रौद्योगिकी और शांति स्थापना पर एक खुली बहस का आयोजन किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने 'शांति स्थापना के लिए प्रौद्योगिकी' पर एक राष्ट्रपति के बयान को अपनाया। भारत सुरक्षा और अनिवार्य कार्यान्वयन चुनौतियों को दूर करने के लिए शांति मिशनों में नई और उन्नत तकनीक पेश करने का एक सुदृढ़ समर्थक रहा है। हमने चुनिंदा मिशनों में शांतिरक्षकों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से यूनाइट अवेयर (यूएनआईटीई एडब्लूएआरई) मंच को शुरू करने का भी समर्थन किया और युगांडा के एंटेबे में यूएनसी4आईएसआर एकेडमी फॉर पीस ऑपरेशंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ताकि इसकी प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

अगस्त 2021 की हमारी अध्यक्षता के दौरान, हमने 'संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के खिलाफ अपराधों की जवाबदेही' पर शांति रक्षा पर एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया और उसका नेतृत्व किया, जिसे सुरक्षा परिषद ने यूएनएससीआर 2589 के रूप में अपनाया। परिषद में कई दशकों के बाद यह संभवत: पहला प्रस्ताव था जिसका हम नेतृत्व कर रहे थे और उसे पेश कर रहे थे। इस पहल का व्यापक रूप से स्वागत किया गया था। इसके बाद दिसंबर 2022 की अध्यक्षता के दौरान यूएनएससीआर 2589 पर मित्र-समूह की स्थापना की गई।

4 जनवरी 2021 को झंडा स्थापना समारोह के दौरान परिषद में शामिल होने के बाद जब मैंने अपना पहला बयान दिया, तो मैंने अन्य बातों के साथ-साथ रेखांकित किया कि "भारत विकासशील दुनिया के लिए एक आवाज होगा। रामकृष्ण मिशन का पूर्व छात्र होने के नाते, मैं स्वामी विवेकानंद के शब्दों को याद करते हुए अपनी बात पूरी करूंगा कि "प्रत्येक राष्ट्र सभी को जीने का अधिकार दे। जब आप जीवन देते हैं, तो आपके पास जीवन होगा; जब आप प्राप्त करते हैं, तो आपको अन्य सभी को देकर इसे चुकाना होगा। और यह वह बयान है जिस पर हमने विशेष रूप से यूएनएससी में वैश्विक दक्षिण से संबंधित मुद्दों के समाधान के संबंध में रखने की कोशिश की।

ग्लोबल साउथ के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए परिषद में विकासशील देशों, विशेष रूप से अफ्रीका और मध्य पूर्व के साथ हमारे घनिष्ठ संबंधों को सुदृढ़ किया गया था। हम उनकी क्षेत्रीय अखंडता, मानवीय और साजो-सामान संबंधी सहायता बढ़ाने, ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने, सुधार, विकास साझेदारी, आतंकवाद से लड़ने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए उनके साथ खड़े रहे। एक ध्रुवीकृत परिषद ने केवल हमारे लिए उस संतुलन और सैद्धांतिक भूमिका को निभाना अधिक महत्वपूर्ण बना दिया जिसके लिए हम जाने जाते हैं।

उदाहरण के लिए, हमने दक्षिण सूडान प्रतिबंधों संबंधी मतदान में दो बार भाग नहीं लिया जब हमें लगा कि उस देश पर अनुचित बेंचमार्क और शर्तें थोपी जा रही थीं। भारत आतंकवाद से लड़ने के लिए अधिक सहायता और संघर्षों को हल करने और शांति निर्माण के प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए अधिक संसाधनों की अफ्रीकी देशों की मांगों का दृढ़ता से समर्थन करता था। सीरिया पर, हम समान रूप से स्पष्ट थे और बताया कि "चल रहे सीमा पार अभियान सीरियाई राज्य की संप्रभुता पर नकारात्मक प्रभाव डालते रहेंगे। हम स्पष्ट थे कि "विदेशी बलों की उपस्थिति के साथ-साथ सशस्त्र समूहों को बाहरी समर्थन केवल स्थिति को बदतर बना रहा है। हमारे दिसंबर 2022 के बयान में, हमने "सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने वाली इस तरह की एकतरफा कार्रवाइयों पर चिंता व्यक्त करना जारी रखा। हमारा मानना है कि राष्ट्रव्यापी संघर्ष विराम हासिल करने के लिए सभी विदेशी बलों की वापसी जरूरी है। इथियोपिया, यमन, इराक, साहेल क्षेत्र आदि से संबंधित अन्य मुद्दों के संबंध में भी हमारा यही रुख था। और इन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के परिणामी दस्तावेजों में प्रतिबिंबित किया। हमने अपनी चिंता व्यक्त की कि कोरिया की डीपीआर द्वारा मिसाइलों के लगातार प्रक्षेपण डीपीआरके से संबंधित सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है और क्षेत्र और उससे परे की शांति और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।

दिसम्बर, 2021 में हमने जलवायु परिवर्तन नीत प्रक्रिया संबंधी यूएन रूपरेखा अभिसमय (यूएनएफसीसीसी) से जलवायु परिवर्तन में बदलाव करने के लिए पश्चिमी देशों द्वारा रखे गए

प्रस्ताव को सफलतापूर्वकर रोक दिया गया और इसे पांच प्रमुख एतिहासिक प्रदूषक देशों वाले पी-5 के अधीन लाया गया।

भारत ने अफ्रीकी संघ, आसियान, ईसीओडब्ल्यूएएस, आईजीएडी आदि सहित अपने प्रभाव क्षेत्रों के भीतर संघर्षों को हल करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले क्षेत्रीय संगठनों को महत्व दिया। हमने अपने हस्तक्षेप में जोर देकर कहा कि "सुरक्षा परिषद को इसमें शामिल देशों द्वारा अपनाए गए क्षेत्रीय दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए, और इन साझा चुनौतियों से निपटने के लिए क्षेत्रीय संगठनों के सहयोग से काम करना चाहिए।''

भारत ने परिषद के अंदर और बाहर महिलाओं की भूमिका, उनके सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को भी रेखांकित किया, जहां हम महिलाओं की स्थिति संबंधी आयोग के लिए भी चुने गए थे। हमने रेखांकित किया कि महिलाओं के खिलाफ दंडमुक्ति की जांच करना और संघर्ष की स्थितियों में हिंसा और शोषण को रोकना सर्वोपरि महत्व का होना चाहिए और सदस्य राज्यों को शांति और राजनीतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ़ करने के उपाय करने चाहिए, जिससे उनके आर्थिक समावेश में योगदान हो सके।

परिषद में विषयगत मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला भी सामने आई थी। इनमें से कुछ मुद्दे सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से भी संबंधित नहीं थे। परिषद में एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति शुरू हो गई है, जहां पी-5 सामाजिक-आर्थिक और यहां तक कि पर्यावरणीय मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रभावित करने के रूप में मानने के लिए तेजी से प्रवण हैं, जिससे उन्हें परिषद के एजेंडे में लाया जा सकता है और उनका राजनीतिकरण किया जा रहा है। मानो जैसे यूएनएससी का मौजूदा एजेंडा पर्याप्त नहीं था। ऐसे सभी विषयगत मुद्दों पर, हमने गुण-दोष पर उनकी जांच की और रचनात्मक भावना में दूसरों के साथ काम करते हुए दृढ़ दृष्टिकोण लेने में संकोच नहीं किया।

दिसंबर 2021 में, हमने जलवायु परिवर्तन के नेतृत्व वाली प्रक्रिया (यूएनएफसीसीसी) पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) से जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दे को हथियाने और इसे पी-5 के दायरे में लाने के पश्चिमी देशों के कदम को सफलतापूर्वक विफल कर दिया, जिसमें प्रमुख ऐतिहासिक प्रदूषक शामिल थे। यूएनएससी में पेश मसौदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था क्योंकि भारत ने मसौदे के खिलाफ मतदान किया था जबकि रूस ने वीटो का इस्तेमाल किया था। यदि यह सफल होता, तो जलवायु परिवर्तन संरचना बनाने वाले अब तक अधिकांश ग्लोबल साउथ, विशेष रूप से छोटे द्वीप विकासशील राज्यों की आवाज को बाहर रख चुके होते।

> जहां संयुक्त राष्ट्र ने अब्राहमिक धर्मों यानी यहूदी-विरोधी, इस्लामफोबिया और क्रिश्चियनोफोबिया, के खिलाफ फोबिया की निंदा की है, वहीं हमने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म सहित गैर-अब्राहमिक धर्मों के खिलाफ बढ़ते घृणा अपराधों और भय का प्रतिकार करने के लिए भी आवश्यकता व्यक्त की है।

ऐसे समय में जब देशों ने पूरे 30 वर्षों (1992-2022) में सामूहिक रूप से बातचीत की है और यूएनएफसीसीसी के तहत जलवायु परिवर्तन का प्रतिकार करने के लिए एक न्यायसंगत संरचना बनाई है, इस प्रक्रिया के बाहर विकसित देशों द्वारा यूएनएफसीसीसी प्रक्रिया को बाधित करने और कहीं और विशिष्ट जलवायु संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। यह यूएनएफसीसीसी सिद्धांतों और प्रतिबद्धताओं, विशेष रूप से सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और इक्विटी से बचने के लिए है। मसौदा प्रस्ताव खारिज होने के बाद मतदान हेतु स्पष्टीकरण में, भारत ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जलवायु कार्रवाई या जलवायु न्याय पर चर्चा करने का स्थान नहीं है।

अपने बयान में, मैंने कहा कि "ऐसा करने का प्रयास प्रतीत होता है कि उचित मंच पर जिम्मेदारी से बचने और दुनिया को भटकाने की इच्छा जहां यह मायने रखता है, वहां पहुंचने की अनिच्छा से ध्यान आकर्षित करने से प्रेरित है।" हमने परिषद में बताया कि यूएनएफसीसीसी विकासशील की तात्कालिक आवश्यकताओं और विकसितों की प्रतिबद्धताओं दोनों का निराकरण करता है और शमन, अनुकूलन, वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण आदि के बीच संतुलन चाहता है। हमने पूछा: "ऐसा क्यों है कि जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव की आवश्यकता है, जबकि ठोस जलवायु कार्रवाई के लिए यूएनएफसीसीसी के तहत हमारी प्रतिबद्धता है? ईमानदार जवाब यह है कि जलवायु परिवर्तन को सुरक्षा परिषद के दायरे में लाने के उद्देश्य के अलावा इस प्रस्ताव के लिए कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है। और इसका कारण यह है कि अब अधिकांश विकासशील देशों की भागीदारी के बिना और आम सहमति को मान्यता दिए बिना निर्णय लिए जा सकते हैं। और यह सब अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को संरक्षित करने के नाम पर किया जा सकता है।" भारत ने आगे तर्क दिया कि: "जलवायु परिवर्तन के फैसले यूएनएफसीसीसी में प्रतिनिधित्व किए गए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बाहर ले जाने की मांग की गई है और इसके बजाय सुरक्षा परिषद को दिए जाते हैं। विडंबना यह है कि यूएनएससी के कई सदस्य अत्यधिक उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन के मुख्य योगदानकर्ता हैं। यदि सुरक्षा परिषद वास्तव में इस मुद्दे पर जिम्मेदारी लेती है, तो कुछ राष्ट्रों को जलवायु से संबंधित सभी मुद्दों पर निर्णय लेने में खुली छूट होगी। यह स्पष्ट रूप से न तो वांछनीय है और न ही स्वीकार्य है।" मसौदा प्रस्ताव को जलवायु परिवर्तन से निपटने के हमारे सामूहिक संकल्प से एक कदम पीछे बताते हुए भारत ने रेखांकित किया कि वह उस जिम्मेदारी को एक ऐसे निकाय को सौंपना चाहता है जो न तो आम

सहमति से काम करता है और न ही विकासशील देशों के हितों को प्रतिबिंबित करता है।

दिसम्बर, 2022 में महात्मा गांधी की अर्धप्रतिमा संयुक्त राष्ट्र के उत्तरी लॉन में स्थापित की गयी जो भारत सरकार की ओर से एक उपहार था। अंतत: शांति, सत्य और अहिंसा के धर्मदूत को संयुक्त राष्ट्र में स्थान प्राप्त हुबा जो संयुक्त राष्ट्र और सदस्य राष्ट्रों के लिए अत्यावश्यक चेतना के लिए था।

एक और मुद्दा जो सीधे परिषद के एजेंडे से संबंधित नहीं था, लेकिन जिसमें उच्च भावनात्मक परिणाम था वह इथियोपिया द्वारा नील नदी पर एक बांध बनाने का मामला था-ग्रैंड इथियोपियाई पुनर्जागरण बांध (जीईआरडी)। भारत ने मसौदे पर स्वीकार्य समझौता करने के लिए केन्या और अन्य सभी सदस्यों के साथ रचनात्मक रूप से काम किया, क्योंकि यह महत्वपूर्ण था कि विभिन्न पक्षों के बीच द्विपक्षीय वार्ता खतरे में न पड़े, लेकिन प्रोत्साहित किया गया और यूएनएससी द्वारा घोषणाओं ने अन्य द्विपक्षीय वार्ताओं के लिए गलत मिसाल कायम नहीं की। भारत का सैद्धांतिक रुख रहा है कि 'एक सामान्य नियम के तौर पर सीमा पार जल मुद्दे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते।''

यूएनएससी में विषयगत विषयों को लाने की यह प्रवृत्ति नई नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में आवृत्ति में काफी वृद्धि हुई है, कुछ निर्वाचित सदस्यों ने नेतृत्व किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पी-5 के कुछ राष्ट्रों द्वारा यह प्रेरित है। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जनादेश के भीतर नहीं हैं और संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों के जनादेश का भी अतिक्रमण कर लेते हैं। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा ही मामला है।

पहली बार, भारत ने परिषद में धार्मिक भय के समकालीन रूप का मुद्दा उठाया। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों ने आमतौर पर केवल अब्राहमिक धर्मों के खिलाफ भय को प्रतिबिंबित और मान्यता दी है, लेकिन गैर-अब्राहमिक धर्मों के खिलाफ लोगों को नजरअंदाज कर दिया है। जहां संयुक्त राष्ट्र ने अब्राहमिक धर्मों यानी यहूदी-विरोधी, इस्लामफोबिया और क्रिश्चियनोफोबिया के खिलाफ फोबिया की निंदा की है, हमने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म सहित गैर-अब्राहमिक धर्मों के खिलाफ बढ़ते घृणा अपराधों और फोबिया का प्रतिकार करने की आवश्यकता व्यक्त की है। धार्मिक भय का उपयोग आतंक के लिए एक औचित्य प्रदान करने के लिए भी किया गया था, इस सिद्धांत को कमजोर करते हुए कि आतंक के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता है।

12 अक्तूबर 2021 को, यूएनएससी में उच्च स्तरीय बहस में भाग लेते हुए, विदेश राज्य मंत्री ने कहा,

और मैं इसे कुछ विस्तार से उद्धृत करता हूं: "जहां तक धार्मिक पहचान का संबंध है, हम देख रहे हैं कि सदस्य-राष्ट्र किस तरह धार्मिक भय के नए रूप का सामना कर रहे हैं।

हम दृढ़ और स्पष्टवादी लेकिन रचनात्मक और समाधान उन्मुख रहे हैं। हम ध्रुवीकृत यूएनएससी में पुल का कार्य कर रहे हैं। अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना, हमारे मन में हमेशा वैश्विक हित रहे हैं, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण भाग के लिए।

जहां हमने यहूदी-विरोधी, इस्लामोफोबिया और क्रिश्चियनोफोबिया की निंदा की है, हम यह पहचानने में विफल रहे हैं कि हिंदू विरोधी, बौद्ध विरोधी और सिख विरोधी फोबिया सहित धार्मिक भय के अधिक उग्र रूप उभर रहे हैं और जड़ें जमा रहे हैं। हमने अपने पड़ोस में और अन्य जगहों पर मंदिरों का विनिष्ट किया जाना, मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ने का महिमामंडन, गुरुद्वारा परिसर में जबरन घुसना, गुरुद्वारों में सिख तीर्थयात्रियों का नरसंहार, बामयान बुद्ध और अन्य धार्मिक प्रतिष्ठित स्थलों को नष्ट करते देखा है। इन अत्याचारों और भय को स्वीकार करने में हमारी असमर्थता केवल उन ताकतों को प्रोत्साहन देती है कि कुछ धर्मों के खिलाफ भय दूसरों की तुलना में अधिक स्वीकार्य हैं। अगर हम इस तरह के फ़ोबिया की आलोचना करने या उन्हें अनदेखा करने के बारे में चयन करते हैं, तो हम अपने जोखिम पर ऐसा करते हैं। 2021 में हमारे राज्य मंत्री की यह चेतावनी अन्य बातों के साथ-साथ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और हमारे पड़ोसी देशों में गैर-अब्राहमिक धर्मों के खिलाफ बढ़ते भय की बढ़ती हिंसक घटनाओं के मद्देनजर सटीक रही है।

हमारे कार्यकाल की परिणति दिसंबर 2022 में हमारी अध्यक्षता में एक और महत्वपूर्ण विषयगत मुद्दे पर यूएनएससी की खुली बहस थी-परिषद के तत्काल सुधार की आवश्यकता। यूएनएससी में अनिर्णय की स्थिति यूक्रेन संघर्ष से उजागर हुई। इससे यह तथ्य सामने आया है कि परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रक्षक के रूप में अपनी उपयोगिता को धीरे-धीरे समाप्त कर रही है। हमने महसूस किया कि सुधार प्रक्रिया में तात्कालिकता की भावना पैदा करने के लिए, परिषद में ही अपनी तरह की पहली बहस उपयोगी होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष दोनों ने इस खुली बहस में भाग लिया।

भारत सुरक्षा परिषद में सुधार के सबसे सुदृढ़ पक्षधरों में से एक रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूएनएससी समकालीन दुनिया में अपना महत्व और प्रासंगिकता हासिल कर सके। 1945 में संयुक्त राष्ट्र में 51 देश थे। अब इसमें 193 देश हैं, लेकिन यूएनएससी अभी भी अपने अराजकतावादी ढांचे को बरकरार रखे हुए है। हमने स्थायी और निर्वाचित दोनों श्रेणियों में परिषद में सीटों के विस्तार का समर्थन

किया है। 'सुरक्षा परिषद में समान प्रतिनिधित्व और सदस्यता में वृद्धि का प्रश्न' का मामला तीन दशकों से अधिक समय से यूएनजीए के एजेंडे में रहा है। जैसा कि विदेश मंत्री ने दिसंबर 2022 में यूएनएससी की खुली बहस में कहा था, "जबकि सुधारों पर बहस उद्देश्यहीन रूप से घूमती रही है, इस बीच वास्तविक दुनिया नाटकीय रूप से बदल गई है। आर्थिक समृद्धि, प्रौद्योगिकी क्षमताओं, राजनीतिक प्रभाव और विकासात्मक प्रगति के संदर्भ में परिवर्तन स्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए, जी 20 के उद्भव में, क्षमताओं और जिम्मेदारियों के व्यापक विस्तार को व्यक्त किया गया है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र ने ऐसी स्थिति बनाए रखी है जैसे कि बाहर कुछ भी नहीं बदला है।

अंतर-सरकारी वार्ता प्रक्रिया के तहत संयुक्त राष्ट्र में चर्चा की संरचना बहुत ही त्रुटिपूर्ण रही है। पहला, संयुक्त राष्ट्र में यह एकमात्र ऐसा संस्थान है जो बिना किसी समय सीमा के आयोजित किया जाता है। दूसरा, यह एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां किसी पाठ के बिना चर्चा की जाती है। और तीसरा, ऐसा कोई रिकॉर्ड रखने वाला नहीं है जो प्रगति को मान्यता देने और आगे बढ़ाए। वास्तव में, इसे आम सहमति की कमी का हवाला देते हुए स्पॉइलर के रूप में कार्य करने वाले और स्मोकस्क्रीन के पीछे छिपने वाले देशों के एक छोटे समूह द्वारा एक टॉक शॉप में बदल दिया गया है। वास्तव में, ऐसे सुझाव हैं कि बातचीत केवल तभी शुरू होती है जब आम सहमति प्राप्त हो! जैसा कि विदेश मंत्री ने कहा, "हमारे पास घोड़े से पहले गाड़ी लगाने का अधिक चरम मामला नहीं हो सकता है।''

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधार संबंधी खुले विचारों वाले कार्य समूह के गठन के तीन दशक बाद भी हमने कोई प्रगति नहीं की है। परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के पास संभवत: सर्वश्रेष्ठ साख है। मुट्ठी भर लोगों द्वारा टुकड़ों में बदलाव का प्रस्ताव देने के प्रयासों को विकल्प के रूप में संयुक्त राष्ट्र की व्यापक सदस्यता के साथ लोकप्रियता नहीं मिलेगी। हम और अधिकांश अन्य सदस्यता की दोनों श्रेणियों में विस्तार पर जोर दे रहे हैं। और इसलिए, गतिरोध बिना किसी समाधान के जारी है। यही कारण है कि हमने पहली बार यूएनएससी में ही इस यूएनएससी सुधार बहस को आयोजित करने का निर्णय किया, जब यह आमतौर पर यूएनजीए प्रारूप में आयोजित किया जाता है।

संक्षेप में, कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता है कि परिषद में भारत का यह कार्यकाल अभूतपूर्व क्यों रहा है। यदि पहले से अलग नहीं भी हो तो, इन दो वर्षों में संघर्षों के साथ-साथ निपटाए गए मुद्दों की सीमा गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से अधिक थी। हम दृढ़ और स्पष्टवादी ही नहीं बल्कि रचनात्मक और समाधान उन्मुख भी रहे हैं। हम एक ध्रुवीकृत यूएनएससी में पुल का कार्य करते रहे हैं। म्यांमार और अफगानिस्तान में तेजी से होने वाले घटनाक्रम पर परिषद में हमारी उपस्थिति विशेष रूप से प्रभावशाली थी और हमें अपने हितों की रक्षा करते हुए एक रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ने में मदद की। हमारे मस्तिष्क में सदा ही वैश्विक हित रहे हैं विशेषकर वैश्विक दक्षिण भाग में और अपने वह भी अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता किये बिना। वास्तव में, हमने अपने राष्ट्रीय हितों को एक स्वतंत्र और यथा आवश्यक भ्रय-बिना-अकेले-चलने वाली विदेश नीति के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जहां संभव हो, हमने लचीलापन दिखाया, अपनी लक्ष्मण रेखाओं को स्पष्ट किया और परिषद के सदस्यों की अलग-अलग स्थितियों को

पाटने के लिए ईमानदारी से और कड़ी मेहनत की। हम आश्वस्त थे कि अगर यूएनएससी में तत्काल सुधार नहीं होता है, तो जी20 जैसे अन्य बहुपक्षीय समूह, जिनका व्यापक प्रतिनिधित्व है और अधिक विश्वसनीयता है, संयुक्त राष्ट्र पर हावी होंगे और संयुक्त राष्ट्र से जो भी निर्णय लेने का अधिकार है, उसे वापस ले लेंगे। दो वर्ष से अधिक समय तक हमारा प्रदर्शन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारत को स्थायी सदस्यता की आवश्यकता क्यों है।

दिसंबर 2022 में, महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा संयुक्त राष्ट्र के उत्तरी लॉन में स्थापित की गई थी यह भारत सरकार की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ को समर्पित एक उपहार है। अंत में, शांति, सत्य और अहिंसा के दूत को संयुक्त राष्ट्र में एक स्थान मिला, जो संयुक्त राष्ट्र और सदस्य राष्ट्रों के लिए एक बहुत जरूरी विवेक रक्षक है। यह मूर्ति 1982 में भगवान सूर्य की 11वीं शताब्दी की मूर्ति के पहले उपहार में शामिल हो गया, जो अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के बाहर गलियारों को अवस्थित है। इन दोनों के साथ, जिसमें एक संयुक्त राष्ट्र भवन के अंदर और दूसरा बाहर, भारत वास्तव में सबसे अच्छे हाथों में है।

भारत सरकार की ओर से उपहार स्वरूप दिसंबर 2022 में, महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा संयुक्त राष्ट्र के उत्तरी लॉन में स्थापित की गई थी। अंत में, संयुक्त राष्ट्र में, शांति, सत्य और अहिंसा के दूत को स्थान मिला है, जो संयुक्त राष्ट्र और सदस्य राष्ट्रों के लिए अत्यावश्यक विवेक रक्षक है।

लेखक ने 2020 और 2022 के दौरान न्यूयार्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और अगस्त, 2021 के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् 2021-22 में भारत के 24 माह के कार्यकाल में से 18 महीनें का कार्यकाल शामिल था। उनके द्वारा व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।

राजदूत टी. एस. तिरुमूर्ति

लेखक के बारे में

राजदूत टी. एस. तिरुमूर्ति 37 वर्ष के करियर के साथ एक भारतीय राजनयिक रहे। 1985 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने के बाद से, उन्होंने जून 2022 में सेवानिवृत्त होने से पहले विभिन्न पदों पर रहते हुए भारत के हितों का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 2020-2022 के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत/स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। वे अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति के अध्यक्ष और सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष भी थे। इससे पहले, वह 2018-2020 के बीच आर्थिक संबंध पोर्टफोलियो को संभालने वाले विदेश मंत्रालय में सचिव थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, भारत की विकास साझेदारी, और खाड़ी और अरब दुनिया और अफ्रीका के साथ संबंध शामिल थे। वे 2018-2020 में एक्जिम बैंक के निदेशक मंडल में भी थे।

राजदूत तिरुमूर्ति इससे पूर्व मिस्र के काहिरा में भारतीय दूतावास में काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने अरबी भाषा में डिप्लोमा प्राप्त किया था। वे जिनेवा, स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव थे। वे गाजा में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के पहले भारतीय प्रतिनिधि भी थे। बाद में, उन्होंने वाशिंगटन डीसी, यूएसए में भारतीय दूतावास में काउंसलर और इंडोनेशिया के जकार्ता में मिशन के उप प्रमुख के रूप में कार्य किया। वे 2013-18 के बीच कुआलालांपुर, मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त रहे।

राजदूत तिरुमूर्ति ने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान अवर सचिव (भूटान), निदेशक (विदेश सचिव कार्यालय), संयुक्त सचिव (बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव) और संयुक्त सचिव (संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक) के रूप में कार्य किया। वे कई वर्षों तक जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर भारत के वार्ताकार भी रहे हैं।

राजदूत तिरूमिर्ति ने वाणिज्य और विधि में डिग्री प्राप्त की। वे तीन पुस्तकों के लेखक भी हैं। उनका विवाह श्रीमती गौरी तिरूमूर्ति से हुई जो मैसर्स आनंद एंड आनंद लॉ फर्म में साझेदार हैं, इस फर्म की विशेषज्ञता बौद्धिक संपदा अधिकार में है। इनके दो बच्चे हैं।

अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना, हमारे मन में सदैव वैश्विक हित रहे हैं, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के लिए। वास्तव में हमने अपने राष्ट्रीय हितों को एक स्वतंत्र और आवश्यक होने पर विदेश नीति को बिना डरे-से-अकेले खड़े होने के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया।

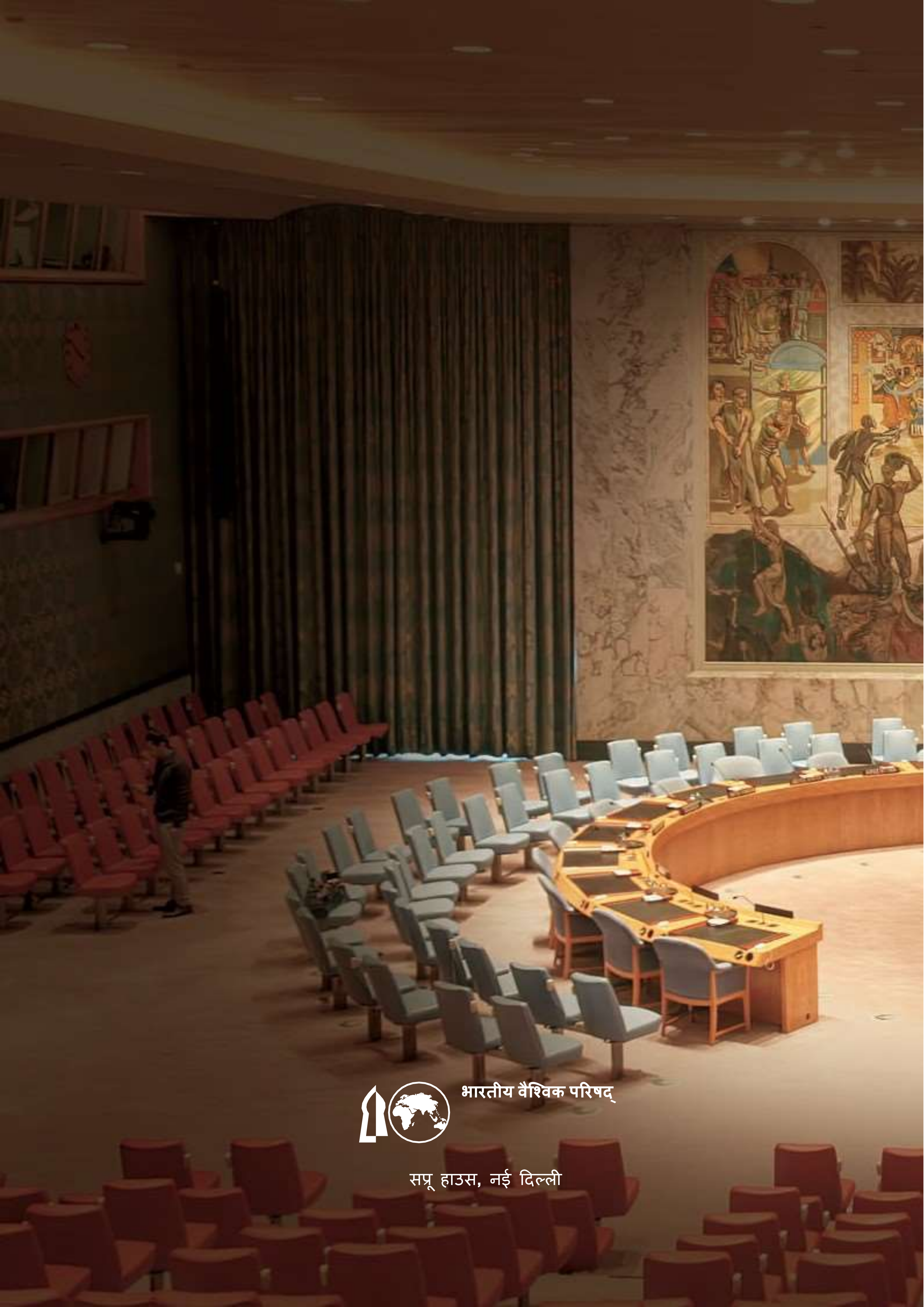

भारतीय वैश्विक परिषद्

सप्रू हाउस, नई दिल्ली